आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि/कोचिंग/2019/360 दिनांकः 25 सितम्बर, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः विषय **"प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम"** के अन्तर्गत निःशुल्क कोचिग कक्षाओं में अध्ययन करवायी जा रही विषय सामग्री (Topics) के व्याख्यानों की रिकार्डिग **You Tube Channel** पर उपलब्धता के संबंध में।

महोदय,

शैक्षणिक सत्र 2019–20 में **"प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम"** अन्तर्गत निःशुल्क कोचिग कक्षाओं का संचालन दिनांक 15 जुलाई 2019 से किया जा रहा है। आयुक्तालय स्तर से प्रत्येक माह की समय सारिणी एवं प्रतिदिन अध्ययन करवाये जाने वाले Topics का निर्धारण कर महाविद्यालयों को भिजवाये गये है ताकि समस्त राजकीय महाविद्यालयों में कोचिंग कक्षाओं के संचालन में समरूपता बनी रहे एवं कार्यक्रम क्रम बद्व व सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके।

आयुक्तालय स्तर पर प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम की समीक्षा करने एवं अलग–अलग महाविद्यालयों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए आप सभी के द्वारा अत्यन्त ही सराहनीय प्रयास किये गये है जिसके लिए आप सभी बहुत–बहुत बधाई के पात्र है।

मुझे आपको यह अवगत करवाते हुये अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं के तहत अध्ययन करवाये जा रहे प्रत्येक Topic पर दक्ष विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों की विडियो रिकार्डिग तैयार करवा कर You Tube पर उपलब्ध करवाई गयी है। इस हेतु **"You Tube Channel"** create किया गया है जिसका नाम **"CCE Lectures"** रखा गया है। इस You Tube Channel पर रिकोर्डेड व्याख्यानों को निम्न तरीके से Search किया जा सकता है।

Google------->YouTube------>CCELectures------> Subscribe channel

आपसे अनुरोध है कि उक्त **"You Tube Channel"** पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उपलब्ध करवाये गये व्याख्यानों के संबंध में सघन प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी उपलब्ध करवाई जाये ताकि महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ–साथ अन्य प्रतियोगी जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे है, वे भी लाभान्वित हो सके।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव,उच्च शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/आकाशि/कोचिंग/2019/360a दिनांकः 25. सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।
5. सहायक निदेशक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान।
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया पत्र को अपलोड़ करने का श्रम करें।
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. सी.बी. जैन)
सह आचार्य

सम्पर्क सूत्र: डा० सी.बी. जैन
9414783292